भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5663

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

टी.पी.डी.एस. के तहत कवरेज

5663. श्री नंदीगम सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य की ग्रामीण आबादी का केवल 61% और शहरी आबादी का 50% शामिल है जो राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% के मानक कवरेज से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य में टी.पी.डी.एस. के तहत व्यापक आबादी के कवरेज को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) अखिल भारत स्तर पर 75 प्रतिशत तक ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। इस कवरेज के अनुरूप 68वां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2011-12), तेंदुलकर गरीबी अनुमान (2011-12), जनगणना 2011 के आंकड़ों तथा राज्यों में एक समान प्रविधियों का उपयोग करते हुए तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज प्रतिशतता निर्धारित की गई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज 60.96 प्रतिशत ग्रामीण तथा 41.14 प्रतिशत शहरी जनसंख्या निर्धारित की गई है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 459.92 लाख व्यक्ति हैं। वर्ष 2011-12 के लिए राज्य विशिष्ट गरीबी अनुमानों से संबंधित आंकड़ों की कमी और दोनों राज्यों के लिए अलग से मूल्य समायोजित उपभोग व्यय कट ऑफ की गणना में उत्तरवर्ती कठिनाइयों के कारण द्विविभाजन के उपरांत नए आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए समान प्रतिशतता कवरेज निर्धारित की गई थी।

.....2/-

(ख) और (ग): नए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रतिशतता कवरेज का मुद्दा नीति आयोग के समक्ष उठाया गया था। नीति आयोग ने सूचित किया है कि उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े अब एक दशक पुराने हैं तथा उत्तरवर्ती सर्वेक्षणों के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं, अतः पुराने आंकड़ों के आधार पर तेलंगाना तथा नए आंध्र प्रदेश के लिए कवरेज अनुपात निर्धारित करने का कोई प्रयास विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक सीमित है, इसलिए, अन्य राज्य की कवरेज में संगत कमी के बिना एक राज्य की कवरेज में कोई वृद्धि इस अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है। नीति आयोग ने आगामी परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण तथा जनगणना 2021 के परिणाम उपलब्ध होने या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की कवरेज हेतु कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने तक तेलंगाना और नए आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए मौजूदा कवरेज अनुपात जारी रखने का सुझाव दिया है।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कवरेज में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****